App-A
Crim-I

FORM NO - III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर मुकाम सिरोही

पन्नालाल बनाम गोविंदराम

किस्म मुकदमा रा.पा.अ.प्रा.
88, 188 RTAct

18/2017

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
1-10-2019	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एकतरफा उप/पैरोकार तहसीलदार सिरोही अवकाश पेश। पैरवी हेतु समय चाहते हैं। प्रार्थना में समय दिया जाता है। पत्रावली अवकाश हेतु 19-11-19 को पेश हो।	
19.11.19	एतकारान अधिवक्ता उपस्थित। राज साहब उप सिरोही प्रस्तुत हैं। अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 10-1-20 को पेश हो।	
30.12.19	पत्रावली के गाने पर पेश हुई। वकील श्री ऋषि माथुर ने वादीगण की ओर से इस वाद को पुनः प्रस्तुत करने का Right Reserve रखते हुये इस वाद को विड्रो किया है। अतः श्रीमान यह वाद वादी के पुनः नये सिरे वाद प्रस्तुत करने का Right Reserve रखते हुये यह वाद विपक्षी प्रतिवादीगण वादी द्वारा विड्रो करने से चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र बाबत विड्रो स्वीकार किया गया। वादी को नये वाद, नये तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है।	पुनः प्रस्तुत करने का Right Reserve रखते हुए वाद withdraw करता है Rishi Mathur 30/12/19

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2019.12.31 17:21:13 IST
Reason: SelfAttested